

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्दादाई  
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)  
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D")  
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरु

इजलास : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

श्री ताराचन्द पुत्र श्री केशर जाति माली निवासी वार्ड नं. 01 शिव कॉलोनी, तहसील व जिला चूरु (राज.)

-वादी-

बनाम

1. निरंजनलाल पुत्र श्री केशर जाति माली निवासी वार्ड नं. 23 शिव कॉलोनी चूरु तहसील व जिला चूरु (राज.)
2. भंवरलाल पुत्र श्री केशर जाति माली निवासी वार्ड नं. 23 शिव कॉलोनी चूरु तहसील व जिला चूरु (राज.)
3. राजकुमार उर्फ राजू पुत्र श्रीमती चन्दादेवी पुत्री केशर जाति माली निवासी वार्ड नं. 23 शिव कॉलोनी चूरु तहसील व जिला चूरु (राज.)
4. हंसराज पुत्र श्रीमती चन्दादेवी पुत्री केशर जाति माली निवासी वार्ड नं. 23 शिव कॉलोनी चूरु तहसील व जिला चूरु (राज.)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरु


-प्रतिवादीगण-

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.  
मुकदमा नं. 19 सन् 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रुबरु हमारे हाजरी श्री शिवगौतम सोलंकी एडवोकेट वादी, मिनजानिब मुदईब व श्री सन्दीप वर्मा एवं श्री गजेन्द्र खत्री एडवोकेट प्रतिवादी सं. 1 से 4 मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:-

तहसीलदार, चूरु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील उभयपक्ष की सहमति के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि यादगत कृषि भूमि ख.नं. 1060 तादादी 3.9457 हैक्टेयर रोही चूरु में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 4 का खाता विभाजन किया जाकर निम्नानुसार खाते व लगान अलग-अलग कायम करने का आदेश दिया जाता है:-

क. सं.	नाम खातेदार मय विवरण	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म भूमि
1.	ताराचन्द पुत्र केशरदेव जाति माली निवासी चूरु खातेदार	1060 मी.	0.9864	बारानी
2.	भंवरलाल पुत्र केशरदेव जाति माली निवासी चूरु खातेदार	1060 मी.	0.9864	बारानी
3.	निरंजनलाल पुत्र केशरदेव जाति माली निवासी चूरु खातेदार	1060 मी.	0.9864	बारानी

  
उपखण्ड अधिकारी  
चूरु

4.	हंसराज पुत्र चन्दादेवी पुत्री केशर जाति माली निवासी चूरु खातेदार	1060 मी.	0.4932	बारानी
5.	राजकुमार उर्फ राजू पुत्र चन्दादेवी पुत्री केशर जाति माली निवासी चूरु खातेदार	1060 मी.	0.4933	बारानी

तहसीलदार, चूरु को उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 21 माह जून सन् 2019 को जारी की गई।



(श्वेता कौचर)  
उपखण्ड अधिकारी, चूरु  
अधिकारी  
चूरु